उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 962–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 18–108–पी / 1990(Vol-III), दिनांक 08 अगस्त, 2018

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ,

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ,

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ,

विषयः– **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित / स्वीकृति पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत की दर से दिये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य), अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–11 / 2018 / सा–3–271 / दस–2018–301 / 2000 टी0सी, दिनांक 23.04.2018 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 05 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 07 प्रतिशत हो गई है।

2. उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रम संख्या	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
1.	01 जनवरी, 2018	02 प्रतिशत	07 प्रतिशत

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे या आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

4. **दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।**

5. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी / राविप–औ0सं0–19–14(23)एफ–85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / कोषागारों द्वारा यथा स्थिति के अनुसार, अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त बिन्दु–01 से 04 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
(का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः...2

संख्या : 962–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 18 / तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर / ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) / विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी(पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

(साधना गुप्ता)
अनुसचिव (पें0 एवं आर0)